N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0136 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 03/06/2025 17:38 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7(c)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(a)
4	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
5	भा दं सं 1860	409
6	भा दं सं 1860	420
7	भा दं सं 1860	467
8	भा दं सं 1860	468
9	भा दं सं 1860	471
10	भा दं सं 1860	477-A
11	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/04/2020 **Date To (दिनांक तक):** 21/06/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 18:00 बजे **Time To (समय तक):** 21:30 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 03/06/2025 Time (समय): 13:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 03/06/2025 17:38:43 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH-EAST, 120 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): JAISALMER CENTRAL CO-OPERATIVE BANK SHAKHA RAJMATAI,, GRAM SEWA SAHKARITA SAMITI PHALSOOND,SWAMI JI DANEE,, MANASAR,BHURJGARH,PADAMPURA, JILA JAISALMER

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): RAJKUMAR SHARMA

(b) Father's Name (पिता का नाम): SHAILENDRA KUMAR SHARMA

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1978 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SHRI VISHVAKARMA JI MANDIR,PURANA GHAT,, AGARA ROAD, JAIPUR, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA

S.No.	Id Type	Id Number
2	स्थायी पता	SHRI VISHVAKARMA JI MANDIR,PURANA GHAT,, AGARA ROAD, JAIPUR, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number
(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	HARJIRAM DEVASI		पिता:BHANWARARAM DEVASI	1. GRAM MANASAR,PHALSOOND,JAISALMER,RAJASTHAN,INDIA
2	MANOHARRAM		पिता:DEEPARAM	1. GRAM ABHASAR,PHALSOOND,JAISALMER,RAJASTHAN,INDIA
3	NATHOODAN		पिता:RIDMALDAN	1. GRAM KAJOI,PHALSOOND,JAISALME
4	AMEDARAM		पिता:CHETANRAM	1. GRAM PRABHOOPURA,PHALSOOND, JAISALMER,RAJASTHAN,INDIA
5	BARKAT KHAN		पिता:ALI KHAN	1. GRAM PADAMPURA,PHALSOOND,JAISALMER,RAJASTHAN,INDIA
6	SANDEEP KUMAR		पिता:KAMAL MEENA	1. QUARTER NO.61/111,C P W D COLONY NIRAMAN NAGAR-1 SECTOR-2,,VIDYADHAR NAGAR JAIPUR,VIDYADHARNAGAR,JAIPUR CITY (NORTH),RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		21,00,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 21,00,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

परिवादी श्री राजकुमार शर्मा पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, इन्टे. राज. जयपुर द्वारा गोपनीय सूत्र सूचना का संकलन कर ब्यूरो मुख्यालय पर एक रिपोर्ट पेश कर बताया कि जैसलमेर के फलसूण्ड, स्वामी जी की ढाणी, मानासर, भणियाणा एवं भीखोडाई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों को बीमा कवरेज प्रदान किये जाने हेतु समिति स्तर पर ही बीमा पॉलिसियों का सृजन कर लिया। ग्राम सेवा सहकारी समितियों, कृषि एवं राजस्व विभाग के कार्मिकों व बीमा कम्पनी एचडीएफसी जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी द्वारा मिलीभगत करते हुए लाखों हैक्टेयर का फर्जी बीमा करते हुए फर्जी तरीके से क्लेम राशि उठा ली गई है। ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं बीमा कम्पी के प्रतिनिधियों ने मिलीभगत कर जिन खेतों में काश्तकार द्वारा कोई फसल नहीं उगाई थी, उनके भी बटाईदार फर्जी रूप से तैयार कर फसल बीमा प्रीमीयम जमा करवाकर खराबें की फर्जी रिपोर्ट तैयार कर मुआवजा /क्लेम उठा लिया। इसके अतिरिक्त जमीन का क्षैत्रफल अधिक दिखाकर भी अधिक फसल खराबा दिखाकर क्लेम स्वीकृत करवा लिया। यह मुआवजा जीएसएस के खातों में आता है जहां से नकद निकाला जाकर किसान, सहकारी समिति के अधिकारी / कर्मचारी एवं बीमा कम्पनी के लोगो को बाट दिया गया है। निरीक्षक पुलिस की उक्त रिपारेर्ट पर ब्यूरो मुख्यालय जयपुर से परिवाद संख्या 07/2024 दिनांक 12.08.2024 दर्ज परिवाद अग्रिम सत्यापन हेतु दिनांक 12.08.2024 को ब्यूरो चौकी जैसलमेर में प्राप्त हुई। परिवाद सत्यापन के दौरान खसरा गिरदावरी, जमाबन्दी, नक्शा नकल पॉलिसी डिटेल किये गये भुगतान से संबंधित दस्तावेजात इत्यादि दस्तावेज प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये गये सत्यापन के दौरान प्राप्त किये दस्तावेज एवं जांच से निम्नानुसार तथ्य पाये गये:- दी जैसलमेर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक, शाखा राजमथाई के अन्तर्गत कुल 16 कॉपरेटिव सोसायटिया कार्यरत है, जिसमें से मानासर, फलसूण्ड, स्वामी जी ढाणी, भुर्जगढ व पदमपुरा ग्राम सहकारी समिति में भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई जिसमें अनुमानित रूप से कुल 21 करोड रूपये की बीमा राशि का फर्जी बटाईदारों के खातों में ऋण-माफी/ बीमा राशि का वितरण कर भ्रष्टाचार किये जाने के तथ्य परिवाद सत्यापन के दौरान पाये गये है। वर्तमान में दी जैसलमेर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक, शाखा राजमथाई के अन्तर्गत आने वाली कॉपरेटिव सोसायटी मानासर के अध्यक्ष श्री हरजीराम देवासी, फलसूण्ड के अध्यक्ष श्री मनोहरराम कुमावत, स्वामी जी ढाणी के अध्यक्ष श्री नाथूदान, भुर्जगढ के अध्यक्ष श्री उम्मेदाराम व पदमपुरा के अध्यक्ष श्री बरकत खां है, तथा श्री संदीप मीणा दी सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक शाखा राजमथाई जैसलमेर के मैनेजर है। शिकायत में वर्णित तथ्यों के आधार पर जांच करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि उपरोक्त सोसायटियों में वर्ष 2020-21 व 2021-22 में खरीब की फसल पर अल्पकालीन बीमा ऋण हेतु किसानों के नाम से ई-मित्र के द्वारा आवेदन किये गये, जिस पर खातेदारों की बगैर सहमति व जानकारी के अंगुठा हस्ताक्षर लिये जाकर सोसायटी अध्यक्ष व व्यवस्थापक द्वारा संबंधित पटवारी के साथ मिलकर तत्कालीन जमाबन्दी में मूंग, तिल व अन्य व्यापारिक फसलों का खराबा बताकर, सूखकर/ जलकर नष्ट होना बताकर फर्जीवाडा कर फसल बीमा पर ऋण-माफी की राशि प्राप्त कर बडे स्तर पर भ्रष्टाचार करना सत्यापन से प्रथम दृष्टतया पाया गया है। उक्त शिकायत के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि दी सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक शाखा राजमथाई के मैनेजर श्री संदीप मीणा के साथ मिलकर मूल खातेदारों के स्थाना पर अपने जानकार व अन्य को बटाईदार बनाकर उनके खाता नम्बर व मोबाईल नम्बर दर्जकरवाकर सोयायटी मैनेजर व व्यवस्थापक द्वारा फर्जी फसली पौलिसिया बनवाकर तथा झूठे शपथपत्र इत्यादि लगाकर वर्ष 2016 से 2023 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फर्जीवाडा कर करोडो रूपये का अवैधानिक लाभ स्वंय व अपने जानकार व अन्य को पहुचाया है अथवा स्वंय द्वारा प्राप्त करने के तथ्य सत्यापन से स्पष्ट हुए है। खेत खसरा के मूल खातेदारों को उक्त दर्ज खराबे का लाभ प्राप्त नही हुआ है। ग्राम सेवा सहकारी समिति कॉपरेटिव बैंक स्वामी जी ढाणी के व्यवस्थापक

नाथूदान, ग्राम फुलासर के पूर्व सरपंच भगवानसिंह व उसके पुत्र भरतसिंह, सचिव ग्राम सेवा सहकारी समिति ने खेतो की जमाबन्दी का फर्जी बीमे की राशि हडपने हेतु अपने पर का दुरूपयोग करते हुए अन्य फर्जी बटाईदारों के साथ मिलकर उनके कूटरचित स्टाम्प, शपथ पत्र तैयार कर झूठ- मूठ ही खेती में मूंग की फसल नष्ट बताकर खुद को फर्जी बटाईदार बताकर खुद के खातो में फसल बीमा राशि जमा कर खातेदार को देय बीमा राशि हडप ली तथा उक्त फर्जी बीमा, खसरा नम्बर, फर्जी बटाईदारों का विवरण पी.एम.एफ.बी.वाई. के राष्ट्रीय पोर्टल पर अपलोड कर खातेदारो की फसल बीमा राशि का गबन करने का कृत्य किया है। उपरोक्त व्यवस्थापको द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2021 एंव खरीफ 2022 की बीमा राशी को हकदार/खातेदार किसानों को नहीं देकर बीमा राशि का गबन करने प्रयोजन से कुटरचित दस्तावेज रचकर कुटरचित दस्तावेंजो को असली रूप देकर दस्तावेजो मे अनियमितता कर बीमा कम्पनी एच.डी.एफ.सी. इ.आर.जी.ओ. एग्रो को दस्तावेज पेश कर सरकारी धन का दुरूपयोग किया गया है। समिति व्यवस्थापक द्वारा भूमिधारकों की जानकारी के अभाव में मनगढत बटाईदार काश्तकारो के नाम से स्वयं की आईडी से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनातर्गत बीमा पॉलिसिया जनरेट कर सरकारी की महत्वपूर्ण योजना को सही रूपेण क्रियान्वयन नही कर बैंक व समिति साख को नुकसान पहुचाये जाने का कुत्सित कृत्य सिद्ध होता है। प्रकरण में परिवादी श्री जोगाराम निवासी प्रभुपुरा मो नं. [redacted] तथा जांच में अन्य खातेदार श्री कालूराम निवासी दानासर, बिरधाराम निवासी दानासर, पुरखाराम निवासी प्रभूपुरा, रुगाराम निवासी खुमाणसर मो. नं. [redacted], नीम्बाराम निवासी गंगोणी उम्मेदसर, श्रीमती घमुदेवी निवासी मोडासर दौलाराम पुत्र श्री तेजाराम निवासी मानासर मो. नं. [redacted], सालूराम निवासी मानासर, करनाराम मानासर व इशराराम निवासी मानासर तथा मीना देवी पत्नी श्री भंवरूराम निवासी केसुला पाना की कृषि भूमि पर फर्जी बटाईदार बनाकर सोयायटी मैनेजर व व्यवस्थापक द्वारा अपने जानकार व अन्य के खातो में फसल बीमा की राशि आहरति कर फर्जीवाडा करना पाया गया है। शिकायत में वर्णित तथ्यों के आधार पर दी जैसलमेर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक, शाखा राजमथाई के शाखा प्रबंधक श्री संदीप मीणा तथा सहकारी समिति मानासर, फलसूण्ड, स्वामी जी ढाणी, भुर्जगढ व पदमपुरा के अध्यक्ष व व्यवस्थापक द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फर्जीवाडा कर स्वंय व अपने जानकारों व अन्य को करोडो रूपये का अवैधानिक लाभ पहुचाना प्राथमिक रूप से प्रमाणित पाया गया है। इस प्रकार परिवाद सत्यापन के दौरान प्राप्त रिकॉर्ड एवं जॉच से प्रकरण में दी जैसलमेर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक, शाखा राजमथाई के शाखा प्रबंधक श्री संदीप मीणा एवं ग्राम सेवा सहकारिता समिति मानासर के अध्यक्ष श्री हरजीराम देवासी, फलसूण्ड के अध्यक्ष श्री मनोहरराम कुमावत, स्वामी जी ढाणी के अध्यक्ष श्री नाथूदान, भुर्जगढ के अध्यक्ष श्री उम्मेदाराम व पदमपुरा के अध्यक्ष श्री बरकत खां द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अवैधानिक रूप से लाभ प्राप्त करने व अपने परिवारजन व जानकारों को लाभ पहुचाने के उददेश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2021 एंव खरीफ 2022 की बीमा राशी को हकदार/खातेदार किसानों को नहीं देकर बीमा राशि का गबन करने प्रयोजन से कुटरचित दस्तावेज रचकर, कुटरचित दस्तावेंजो को असली रूप देकर, दस्तावेजों मे अनियमितता कर, बीमा कम्पनी एच.डी.एफ.सी. इ.आर.जी.ओ. एग्रो को दस्तावेज पेश कर सरकारी धन का दुरूपयोग किया जाना प्रमाणित पाया गया है, अतः आरोपी श्री संदीप मीणा, श्री हरजीराम देवासी, श्री मनोहरराम कुमावत, श्री नाथूदान, श्री उम्मेदाराम, श्री बरकत खां व राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारियों व लाभार्थियों के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7(सी), 12, 13(1)(ए) सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 409, 420, 467, 468, 471, 477ए 120बी आई.पी.सी. का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री संदीप मीणा, श्री हरजीराम देवासी, श्री मनोहरराम कुमावत, श्री नाथूदान, श्री उम्मेदाराम, श्री बरकत खां व राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारियों व लाभार्थियों के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावे। भवदीय, (नरपतचन्द) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर............कार्यवाही पुलिस....................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरपत चंद,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जैसलमेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7(सी), 12, 13(1)(ए) सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 409, 420, 467, 468, 471, 477ए 120बी आई.पी.सी. में आरोपी 01.श्री हरजीराम देवासी पुत्र श्री भंवराराम देवासी उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम मानासर तहसील फलसूण्ड जिला जैसलमेर हाल मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. मानासर 02.श्री मनोहरराम पुत्र श्री दीपाराम उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम अभासर तहसील फलसूण्ड जिला जैसलमेर हाल मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. फलसूण्ड 03.श्री नाथूदान पुत्र श्री रिडमलदान उम्र 40 निवासी ग्राम कजोई तहसील फलसूण्ड जिला जैसलमेर हाल मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. स्वामी जी की ढाणी 04.श्री अमेदाराम पुत्र श्री चेतनराम उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम प्रभूपुरा तहसील फलसूण्ड जिला जैसलमेर हाल मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. भुर्जगढ 05.श्री बरकत खां पुत्र श्री अली खां उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम पदमपुरा तहसील फलसूण्ड जिला जैसलमेर हाल मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. पदमपुरा 06.श्री संदीप कुमार पुत्र श्री कमल मीणा उम्र 38 साल निवासी क्वार्टर नं. 61/III सीपीडब्ल्यूडी कॉलोनी निरमाण नगर-1, सेक्टर-2, विघाधर नगर जयपुर राज. 302023 के

विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाडमेर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 618 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 791−96 दिनांक 03.06.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर, 2. प्रबन्ध निदेशक, दी जैसलमेर सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जैसलमेर 3- प्रबन्धक कार्यकारणी/अध्यक्ष, मानासर ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड मानासर,जैसलमेर 4-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर, 5-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर। 6-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परिवाद, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (परिवाद संख्या 07/24) । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** NARENDER KUMAR **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 03/06/2025 17:...

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	09/03/1993				
2	Male	14/04/1993				
3	Male	13/06/1984				
4	Male	09/04/1993				
5	Male	07/07/1988				
6	Male	09/03/1993				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)